महत्वपूर्ण

संख्या-29 ई-2/तेरह-2007-91/2006

प्रेषक,

मार्कण्डेय शाही,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2007

विषय :- वर्ष 2007-08 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-जी-292/दस-लाइसेन्स-69/देशी मदिरा मूल्य निर्धारण/2007-08 दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 तथा पत्र संख्या-जी-293/दस-लाइसेन्स-367/सुझाव आबकारी नीति/2007-08 दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2007-08 के लिए आबकारी नीति के सम्बन्ध में जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने के लिए मुझे निर्देश हुए है :-

दुकानों का व्यवस्थापन :-

(i) वर्ष 2007-08 के लिए आबकारी की समस्त दुकानों (देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर) का व्यवस्थापन, नियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार नवीनीकरण/सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) जिन दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं हो पायेगा, उनका तथा नव सृजित दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष 2006-07 की भांति सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। नवीनीकरण एवं सार्वजनिक लाटरी हेतु प्रति प्रार्थना-पत्र पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 2500/- देय होगा।

दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन-पत्र, जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी, उपायुक्त प्रभार, संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन व आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालयों से प्राप्त किये जाने की वर्तमान व्यवस्था के साथ-साथ दुकानों के व्यवस्थापन मे एकाधिकार को रोकने एवं पारदर्शिता बनाये रखने हेतु वर्ष 2007-08 में आवेदन-पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा कराने की व्यवस्था अनुमन्य होगी। ऐसे आवेदन-पत्रों को जमा होने की अन्तिम तिथि व समय समाप्त होने पर सम्बंधित जनपद को उपलब्ध करा दिया जाए।

(हस्ताक्षर) 10/1/07

(iii) नवीनीकरण केवल उसी दशा में अनुमन्य होगा, जबकि अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2006-07 के अवशेष सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया हो।

(iv) भांग की दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व की भांति उ0प्र0 आबकारी लाइसेन्स (टेन्डर एवं नीलाम) नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत नीलाम प्रणाली से कराया जाए। भांग के लिये निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेन्स फीस देय होगी। एम0जी0क्यू0 के अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी।

3- देशी मदिरा :-

(3.1) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा-

वर्ष 2006-07 में वर्तमान दुकानों में देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में 19.61 करोड़ ब0ली0 व्यवस्थापित है। वर्तमान में व्यवस्थापित देशी मदिरा के फुटकर बिक्री की सभी श्रेणी की दुकानों के कोटे में समान रूप से 05 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, जिससे वर्तमान कोटे 19.61 करोड़ ब0ली0 में लगभग 98 लाख ब0ली0 की वृद्धि होगी अर्थात वर्तमान दुकानों के लिए अगले वर्ष की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 20.59 करोड़ ब0ली0 (36 प्रतिशत वी/वी की टर्म में) हो जायेगी।

उपरोक्तानुसार देशी मदिरा की वर्तमान दुकानों, जिनकी संख्या-11466 बतायी गयी है, के कोटे में समान रूप से 05 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उनका व्यवस्थापन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाए :-

(i) दुकानों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से सर्वप्रथम वर्तमान अनुज्ञापियों से उनकी न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्रा में उपरोक्तानुसार वृद्धि करते हुए नवीनीकरण का विकल्प प्राप्त किया जाए। जिन दुकानों के साथ उप दुकानें सम्बद्ध हैं, उनकी वर्तमान न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में भी उपरोक्तानुसार ही 05 प्रतिशत की वृद्धि मूल दुकान की प्रास्थिति के अनुसार करके मुख्य दुकान के साथ उनका भी नवीनीकरण/व्यवस्थापन किया जाए, किन्तु वर्ष 2007-08 में कोई भी नई उप दुकान खोलने की अनुमति किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी।

(ii) ऐसी दुकानें जो नवीनीकरण की अन्तिम तिथि के बाद भी अवशेष रह जाती हैं, उनके व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2007-08 के लिये (प्रस्तावित वृद्धि के साथ) निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवेदनपत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन किया जाए।

(iii) उपरोक्त के बाद भी जो दुकानें व्यवस्थापन हेतु अवशेष रहेंगी, उनका व्यवस्थापन तीसरे चरण में सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2006-07 के निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर आफर मांगकर किया जाए। शर्त यह होगी कि वर्ष 2006-07 के कोटे से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। इसी चरण में नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी गत वर्ष की भांति न्यूनतम् 3000 बल्क लीटर एम0जी0क्यू0 निर्धारित करते हुए आफर मांगकर कराया जाए। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(3.2) बेसिक लाइसेन्स फीस एवं प्रतिफल शुल्क-

वर्ष 2007-08 हेतु देशी मदिरा की बेसिक लाइसेन्स फीस की दर रू0 15/- प्रति ब0ली0 तथा प्रतिफल शुल्क की दर रू0 92/- प्रति ब0ली0 (36 प्रतिशत वी0/वी0) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

[signature] 15/1/07

देशी मदिरा की श्रेणियां :-

देशी मदिरा की वर्तमान प्रचलित दो श्रेणियों - 36 प्रतिशत वी0/वी, (मसालेदार), 25 प्रतिशत वी/वी, (सादा) के अतिरिक्त वर्ष 2007-08 में 42.8 प्रतिशत वी0/वी0 की एक नई श्रेणी अनुमन्य होगी। 42.8 प्रतिशत वी/वी की देशी मदिरा 36 प्रतिशत वी/वी के समान ही मसालेदार होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि 42.8 प्रतिशत वी/वी की देशी मदिरा की बोतल का कैप्सूल न केवल अलग रंग का रखा जाए जिससे उपभोक्ताओं को पहचान करने में आसानी हो।

(3.4) देशी मदिरा की आपूर्ति-

देशी मदिरा की आपूर्ति वर्ष 2006-2007 की भांति वर्ष 2007-08 में भी सी0एल0-2 के माध्यम से कराई जायेगी तथा सी0एल0-2 की लाइसेंस फीस यथावत रू0 10 लाख प्रतिवर्ष होगी। वर्ष 2006-07 की भांति वर्ष 2007-08 में भी सी0एल0-2 अनुज्ञापन केवल प्रदेश की आसवनियों को ही स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3.5) देशी मदिरा की नई दुकानों का सृजन-

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह वर्तमान दुकानों की संख्या के 10 प्रतिशत तक देशी मदिरा की नई दुकानें सृजित कर सकते हैं एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन तृतीय चरण के व्यवस्थापन के साथ वर्ष के आरम्भ में ही आफर/टेण्डर मॉगकर किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी नवसृजित दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 3000 ब0ली0 वार्षिक से कम का आफर स्वीकार नही किया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर दुकान का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(3.6) देशी मदिरा की निर्यात पास फीस-

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस वर्ष 2006-07 में रू0 10/- प्रति एल्कोहल लीटर है, जिसे वर्ष 2007-08 में यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(3.7) प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क

वर्ष 2007-08 के लिए नवीनीकरण एवं सार्वजनिक लाटरी हेतु प्रत्येक प्रार्थना-पत्र एवं प्रोसेसिंग फीस की दर को वर्ष 2006-07 में निर्धारित रू0 2000/- के स्थान पर रू0 2500/- किये जाने का निर्णय लिया गया है। देशी मदिरा की दुकानों के लिए नवीनीकरण फीस में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2006-07 की वर्तमान दर (रूपयों में)	वर्ष 2007-08 के लिये स्वीकृत दर (रूपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये	12,000 प्रति दुकान	14,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये	10,000 प्रति दुकान	11,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये	7,000 प्रति दुकान	8,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये	4,000 प्रति दुकान	4,000 प्रति दुकान

(3.8) देशी शराब के ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन-

देशी शराब के ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाये जाने तथा श्रेणीवार ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 5000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3.9) देशी मदिरा के लेबुलों का अनुमोदन-

वर्ष 2007-08 में देशी शराब की बोतलों के लेबुलों पर बैच नम्बर एवं निर्माण की तिथि एवं अन्य यथानिर्धारित अंकित करने की वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखते हुए लेबुल अनुमोदन फीस तीव्रतावार प्रति लेबुल रू0 5000/- किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3.10) देशी मदिरा की दैनिक लाइसेन्स फीस

देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस व प्रतिफल फीस सम्बन्धित वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। वर्ष 2007-08 में भी सामान्यतः दैनिक व्यवस्थापन उपरोक्तानुसार ही सम्पन्न कराया जाएं, किन्तु यदि किन्हीं कारणों से समस्त निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये जाने के बावजूद किसी दुकान का व्यवस्थापन नहीं हो पाता है, तो उसका व्यवस्थापन दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर वर्ष 2006-07 के एम0जी0क्यू0 पर आफर मॉगकर सर्वोच्च आफर पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। शर्त यह होगी कि उक्त दुकान का नियमित व्यवस्थापन शीघ्रातिशीघ्र करा दिया जाए। ऐसी दुकानों के नियमित व्यवस्थापन कराये जाने तक आबकारी आयुक्त द्वारा निरन्तर समीक्षा की जायेगी।

4- विदेशी मदिरा-

(4.1) विदेशी मदिरा की दुकानों की लाइसेन्स फीस एवं व्यवस्थापन

वर्ष 2007-08 के लिये विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की सभी 09 श्रेणियों को यथावत रखते हुए सभी श्रेणी की लाइसेन्स फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए विदेशी मदिरा के दुकानों के व्यवस्थापन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाए :-

(i) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में सभी 09 श्रेणियों की लाइसेन्स फीस में समान रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जाएगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही अथवा उसके ऊपर की श्रेणी की लाइसेंस फीस में बिक्री के आधार पर नवीनीकरण के लिये पूर्व प्रक्रियानुसार अनुमन्य होगी। किसी भी दुकान का नवीनीकरण उसकी वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा। नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन बढ़ी हुई लाइसेंस फीस पर तथा नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन प्रचलित प्रक्रियानुसार ही नियत् लाइसेंस फीस पर आवेदनपत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) ऐसी दुकानें जो नवीनीकरण की अन्तिम तिथि के बाद भी अवशेष रह जाती है, उनके व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2007-08 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस पर सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवेदनपत्र आमंत्रित कर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाय।

[signature] 10/1/07

3	नगर पंचायत	85,100/-
4	ग्रामीण क्षेत्र	41,200/-

उपर्युक्तानुसार निर्धारित लाइसेंस फीस पर आवेदनपत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाएगा।

(4.4) <u>विदेशी मदिरा पर प्रतिफल फीस का निर्धारण-</u>

वर्ष 2007-08 के लिए विदेशी मदिरा पर प्रतिफल फीस की दर निम्नवत निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

श्रेणी एवं एक्स आसवनी मूल्य		वर्ष 2006-07 में प्रतिफल फीस		वर्ष 2007-08 के लिए प्रतिफल फीस	
		प्रति लीटर	प्रति बोतल	प्रति लीटर	प्रति बोतल
1	0 से 24/- तक	130.00	97.50	142.00	106.50
2	24/- से अधिक 29/- तक	150.00	112.50	162.00	121.50
3	29/- से अधिक 39/- तक	170.00	127.50	182.00	136.50
4	39/- से अधिक 49/- तक	182.00	136.50	194.00	145.50
5	49/- से अधिक 59/- तक	198.00	148.50	210.00	157.50
6	59/- से अधिक 79/- तक	246.00	184.50	270.00	202.50
7	79/- से अधिक 109/- तक	278.00	208.50	308.00	231.00
8	109/- से अधिक 154/- तक	306.00	229.50	338.00	253.50
9	154/- से अधिक 204/- तक	408.00	306.00	444.00	333.00
10	204/- से अधिक 254/- तक	नई श्रेणी	--	448.00	336.00
11	254/- से अधिक 500/- तक	496.00	372.00	556.00	417.00
12	500 से अधिक	नई श्रेणी	--	576.00	432.00

विदेशी मदिरा के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

(4.5) वर्ष 2007-08 में विदेशी मदिरा की आपूर्ति पूर्व की भांति एफ0एल0-2 के माध्यम से कराये जाने व वार्षिक लाइसेंस फीस यथावत रू0 05 लाख रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.6) विदेशी मदिरा पर आयात एवं निर्यात फीस तथा विदेशी मदिरा की बोतल भराई शुल्क यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.7) <u>विदेशी मदिरा के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन फीस का निर्धारण:-</u>

वर्ष 2007-08 के लिए विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 26,000/- के स्थान पर रू0 30,000/- तथा विदेशी मदिरा के लेबुलों का अनुमोदन फीस रू0 11,000/- के स्थान रू0 12,000/- करने का निर्णय लिया गया है।

(iii) उपरोक्त के बाद भी जो दुकानें व्यवस्थापन हेतु अवशेष रहेंगी, उनका व्यवस्थापन तीसरे चरण में सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2006-07 की लाइसेन्स फीस पर आफर मांगकर किया जाए। शर्त यह होगी कि वर्ष 2006-07 की लाइसेन्स फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा।

(iv) विदेशी मदिरा की दुकानों को दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। सामान्यत: आगामी वर्ष 2007-08 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन कराया जाए परन्तु ऐसी दुकानें, जिन पर उपरोक्त तीन चरणों की व्यवस्थापन की प्रक्रिया में कोई आफर प्राप्त न हों, उनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2006-07 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाए। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(4.2) <u>विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की नवीनीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस-</u>

विदेशी मदिरा दुकानों की प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क की वर्ष 2006-07 के लिये निर्धारित दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2006-07 की नवीनीकरण की वर्तमान दर (रुपये में)	वर्ष 2007-08 के लिये नवीनीकरण की स्वीकृत दर (रूपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये	22,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये	16,000 प्रति दुकान	19,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये	11,000 प्रति दुकान	13,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये	4,000 प्रति दुकान	5,000 प्रति दुकान

वर्ष 2007-08 के लिये नवीनीकरण व अन्यथा व्यवस्थापन हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस की दर को वर्ष 2006-07 में रू0 2000/- के स्थान पर <u>रू0 2500/-</u> निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.3) <u>विदेशी मदिरा की नई दुकानों का सृजन एवं उनकी लाइसेन्स फीस का निर्धारण-</u>

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वे विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की वर्तमान दुकानों की संख्या में 10 प्रतिशत तक वृद्धि करके नई दुकाने सृजित कर सकते हैं, किन्तु उनका व्यवस्थापन वर्ष के प्रारम्भ में ही करा दिया जाए।

वर्ष 2007-08 के लिये नवसृजित विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेन्स फीस निकायवार निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	निकाय	लाइसेन्स फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 3 कि0मी0 की परिधि तक	5,47,700/-
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 2 कि0मी0 की परिधि तक	1,82,700/-

10/1/07

(4.8) एफ०एल०-1/एफ०एल०-1ए के अनुज्ञापनों की लाइसेन्स फीस

वर्ष 2007-08 के लिए एफ०एल०-1, एफ०एल०-1ए की लाइसेन्स फीस में रु० 50-50 हजार की वृद्धि करते हुए एफ०एल०-1 की लाइसेन्स फीस रु० 01 लाख तथा एफ०एल०-1ए की लाइसेन्स फीस भी रु० 01 लाख किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.9) एफ०एल०-2ए/एफ०एल०-2बी०/एफ०एल०-2डी अनुज्ञापनों की लाइसेन्स फीस यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.10) सी०एस०डी०एफ०एल०-2ए/2बी/2सी०/2डी० अनुज्ञापनों की वर्तमान लाइसेन्स फीस को वर्ष 2007-08 में यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.11) वर्ष 2007-08 में अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की बोतलों पर एम०आर०पी० अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(4.12) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2006-07 में निर्धारित परमिट फीस रु० 400/- प्रति ली० की दर के स्थान पर वर्ष 2007-08 के लिए रु० 500/- प्रति ली० निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.13) वर्ष 2007-08 के लिए वाईन की प्रतिफल फीस, आयात शुल्क तथा अन्य देशों से आयातित वाइन पर प्रतिफल फीस, ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस की वर्तमान दर को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.14) वर्ष 2007-08 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम०आर०पी० अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(4.15) वर्ष 2007-08 में कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन व प्रतिफल फीस की वर्तमान दर को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.16) वर्ष 2007-08 में विदेशी मदिरा की रु० 0 से रु० 24/- तक तथा रु० 24/- से अधिक तथा रु० 29/- तक एक्स आसवनी मूल्य वाली विदेशी मदिरा की श्रेणी में 90 एम०एल० धारिता की बोतलों की बिक्री के प्राविधान को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। विदेशी मदिरा की धारिता के सम्बन्ध में अन्य पूर्वपारित आदेश यथावत रहेंगें।

(4.17) वर्तमान में आबकारी अभिकर के स्थान पर प्रतिफल फीस की वसूली की जा रही है। अतः बोतल भराई नियमावली, 1969 तथा आसवनी स्थापना नियमावली एवं बियर स्थापना नियमावली में अभिकर के स्थान पर प्रतिफल फीस प्रतिस्थापित किया जाए।

5- बियर

(5.1) बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन

वर्ष 2007-08 में बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों की श्रेणी को यथावत रखते हुए श्रेणीवार लाइसेन्स फीस में 15 प्रतिशत की समान वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

प्रतिबन्ध यह होगा कि, जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही अथवा उसके ऊपर की श्रेणी की लाइसेन्स फीस में बिक्री के आधार पर नवीनीकरण के लिये पूर्व प्रक्रियानुसार अनुमन्य होगी। किसी भी दुकान का

नवीनीकरण उसकी वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जायेगा। नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन बढ़ी हुई लाइसेन्स फीस पर तथा नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन प्रचलित प्रक्रियानुसार ही नियत् लाइसेन्स फीस पर आवेदनपत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन निम्न प्रक्रियानुसार किया जायेगा:-

(i) बियर की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण में दुकानों की श्रेणी को यथावत् रखते हुए श्रेणीवार लाइसेन्स फीस में 15 प्रतिशत की समान वृद्धि देते हुए नवीनीकरण का विकल्प उनके वर्तमान अनुज्ञापियों से प्राप्त कर लिया जाय।

(ii) ऐसी दुकानें जो नवीनीकरण की अन्तिम तिथि के बाद भी अवशेष रह जाती है, उनके व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2007-08 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस पर सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाय।

(iii) उपरोक्त के बाद भी जो दुकानें व्यवस्थापन हेतु अवशेष रहेंगी, उनका व्यवस्थापन तीसरे चरण में सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2006-07 की लाइसेन्स फीस पर आफर मांगकर किया जाना प्रस्तावित है। शर्त यह होगी कि वर्ष 2006-07 की लाइसेन्स फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकानों का व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(5.2) बियर की दुकानों का नवीनीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस-

(i) वर्ष 2007-08 के लिये नवीनीकरण व सार्वजनिक लाटरी हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर प्रासेसिंग फीस की दर को वर्ष 2006-07 में निर्धारित रू0 2000/- के स्थान पर रू0 2500/- निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ii) बियर की फुटकर दुकानों के लिये नवीनीकरण फीस वर्ष 2007-08 के लिये निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्रमांक	निकाय	नवीनीकरण हेतु फीस (रूपये में)	
		वर्ष 2006-07 में निर्धारित फीस	वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकृत फीस
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये	22,000/- प्रति दुकान	25,000/- प्रति दुकान
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये	16,000/- प्रति दुकान	19,000/- प्रति दुकान
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये	11,000/- प्रति दुकान	13,000/- प्रति दुकान
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये	4,000/- प्रति दुकान	5,000/- प्रति दुकान

(5.3) बियर की प्रतिफल फीस-

वर्ष 2007-08 में बियर, साइडर, पोर्टर, एल0 पर निम्नानुसार प्रतिफल शुल्क की दरें निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

श्रेणी	प्रतिफल शुल्क प्रति बोतल (650 एम0एल0)
माइल्ड (05 प्रतिशत वी/वी तक)	18.50 रूपये प्रति बोतल

स्ट्रांग (08 प्रतिशत वी/वी तक)	32.00 रूपये प्रति बोतल

(5.4) बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या में वृद्धि-

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि बियर की वर्तमान दुकानों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके नई दुकानें सृजित कर सकते है, किन्तु नव सृजित दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण से अवशेष दुकानों के साथ एवं वर्ष के प्रारम्भ में ही किया जाए।

(5.5) बियर की नवसृजित दुकानों की लाइसेन्स फीस एवं व्यवस्थापन-

वर्ष 2007-08 में व्यवस्थापित होने वाली बियर की फुटकर बिक्री की नवसृजित दुकानो की लाइसेन्स फीस वर्ष 2006-07 की भांति निकायवार निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्रमांक	निकाय	निर्धारित लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 3 कि0मी0 की परिधि तक	1,52,200/- रूपये
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 2 कि0मी0 की परिधि तक	76,200/- रूपये
3	नगर पंचायत	37,100/- रूपये
4	ग्रामीण क्षेत्र	36,500/- रूपये

नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन नियत लाइसेन्स फीस पर आवेदन-पत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

(5.6) बियर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस-

बियर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स प्रत्येक दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। तदनुसार: आगामी वर्ष 2007-08 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है, परन्तु ऐसी दुकानें जिन पर उपरोक्त प्रस्तर-5.1 में तीन चरणों की व्यवस्थापन की प्रक्रिया में कोई आफर प्राप्त न हो, उनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2006-07 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाए। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(5.7) बियर पर आयात-निर्यात शुल्क, लेबुल अनुमोदन फीस, ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व अन्य देशों से आयातित बियर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस की वर्तमान दर को वर्ष 2007-08 में यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(5.8) **बियर, पोर्टर, साइडर, एल0 एवं कम तीव्रता के मादक पेय का बोतल भराई शुल्क का निर्धारण-**

वर्ष 2006-07 में निर्धारित बियर, पोर्टर, साइडर, एल0 एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतल भराई शुल्क की वर्तमान दर को वर्ष 2007-08 में यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

(5.9) **समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा-**

समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा की थोक व फुटकर बिक्री के लिए सृजित एफ0एल0-2डी की वार्षिक लाइसेन्स फीस यथावत रू0 50,000/- रखी जाए।

6- **बार लाइसेन्स की फीस में वृद्धि-**

वर्ष 2007-08 में सभी श्रेणी के बार लाइसेन्सों की लाइसेन्स फीस में (बियर बार को छोड़ कर) समान रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। बारो की समयावधि पूर्ववत रहेगी।

7- **माडल शॉप**

(7.1) **माडल शॉप की दुकानों का व्यवस्थापन-**

माडल शॉप की वर्तमान दुकानो का नवीनीकरण किया जायेगा, जिसके लिए कोई नवीनीकरण फीस नही ली जायेगी। आवेदन-पत्र एवं उसकी प्रोसेसिंग फीस यथावत् रू0 5000/- प्रत्येक आवेदन-पत्र लिया जायेगा।

(7.2) **माडल शॉप की दुकानों की लाइसेन्स फीस-**

वर्ष 2006-07 में निर्धारित लाइसेन्स फीस को वर्ष 2007-08 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

8- **वर्ष 2007-08 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य**

(करोड़ रूपये में)

1-	देशी शराब - प्रतिफल फीस, लाइसेन्स फीस व अन्य प्राप्तियॉं	2220.00
2-	विदेशी मदिरा- प्रतिफल फीस, लाइसेन्स फीस व अन्य प्राप्तियॉं	1200.00
3-	बियर - प्रतिफल फीस, लाइसेन्स फीस व अन्य प्राप्तियॉं	215.00
4-	अन्य मद -	215.00
	योग - (तीन हजार, आठ सौ पचास करोड़ रूपये मात्र)	3850.00

9- प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि न केवल निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति ही सुनिश्चित् हो सके, बल्कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्ति सुनिश्चित् हो सके।

10- देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानो के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

11- उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन किया जाना हो, उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके 31 मार्च, 2007 से पूर्व प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए, जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना है, उसका प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी में) एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि समय से

आगामी कार्यवाही की जा सके। प्रश्नगत संशोधनों को समय से सुनिश्चित कराने हेतु आबकारी आयुक्त स्तर पर मार्च, 2007 के द्वितीय सप्ताह में गहन समीक्षा भी कर ली जाए, ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

भवदीय,

(वाई०के० बहल)

विशेष सचिव।